भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 151

जिसका उत्तर 14.09.2020 को दिया जाना है

सीआरआरआई द्वारा सड़क निर्माण के मामले में बताई गई खामियां

151 श्री नीरज डांगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीआरआरआई द्वारा निर्माण के मामले में की गई जांच में क्या-क्या खामियां बताई गई हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सीआरआरआई द्वारा की गई जांच में बताई गई गंभीर खामियों को दूर करने में कितनी अनुमानित लागत आएगी;

(ग) क्या यह सच है कि सीआरआरआई द्वारा उक्त सड़क के निर्माण में हुई खामियों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद भी 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' ने निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है तथा टोल संग्रहण के लिए अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ): केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने राजस्थान राज्य में बिवाड़- पाली - पिंडवाड़ा खंड के 4-लेनिंग के कार्य की जांच की और पोटहोल्स, स्ट्रिपिंग, रैवलिंग, रटिंग, एलिगेटर क्रैक्स, सेटलमेंटस इत्यादि का पाया। यह कार्य बीओटी (टोल) मोड पर निष्पादित किया गया था, इसलिए, रियायतग्राही समझौता के प्रावधानों के अनुसार, किसी प्रकार की त्रुटियों के सुधार सहित संचालन और अनुरक्षण की संपूर्ण जिम्मेदारी, रियायतग्राही की होती है। सीआरआरआई द्वारा निरीक्षण से पहले अनंतिम पूर्णत: प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे।

*****